

भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया

संविधान संशोधन की प्रक्रिया → समय के साथ संविधान के प्रावधानों का संशोधन होता रहना चाहिए। अन्यथा वह चल नहीं सकेगा। प्रकृति से संविधान नमनशील या लचीला हो जाता है। संशोधन प्रणाली का प्रावधान होता है। यदि यह प्रणाली सरल है तो अपनी प्रकृति से संविधान नमनशील या लचीला होता है। संशोधन का बिल संसद से साधारण बहुमत से पास होकर राज्याध्यक्ष की अनुमति पाकर कानून बन जाता है। संशोधन का बिल संसद से साधारण बहुमत से पास होकर संसद द्वारा निर्मित साधारण या निम्न विधियों में अन्तर नहीं होता। ब्रिटिश संविधान इसका खेफ उदाहरण है। यदि यह संशोधन प्रणाली बहुत कठिन है तो अपनी प्रकृति से संविधान कठोर हो जाता है।

संविधान की संशोधन प्रणाली का अध्ययन करने से यह विदित होता है कि इसमें लचीलापन व कठोरता का अद्भुत मिश्रण है।

इसके कुछ प्रावधानों को संसद साधारण बहुमत से बिल पास करके बदल सकती है। कुछ प्रावधानों को संसद बदल सकती है लेकिन ऐसा बिल दोनों सदनो में विशेष बहुमत से कम कायदा राज्यों का समर्थन भी मिलना चाहिए। आपकी की बात

संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

हर संविधान की अपनी विशेषताएँ होती हैं। जिन्हें देखकर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है।

यही बात भारत के संविधान के बारे में कही जा सकती है। हम भारत के लोगों ने भारत के लोगों के लिए बनाया है।